



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार—249404

संख्या: 93/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 06 जुलाई, 2023

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में हिन्दी विषय के कतिपय अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावों से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण तालिका के कॉलम-03 के अनुसार मात्र 0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

S NO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
1.	500092	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
2.	500216	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
3.	500227	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
4.	500323	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत एन0सी0सी0/वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध के कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
5.	500343	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु उक्त के सापेक्ष कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
6.	500344	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने का दावा किया गया है, जिसके लिए प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों में 04 सत्रों का दावा किया गया है। जिसमें केवल 03 सत्र का दावा मान्य है तथा सत्र 2021-22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण 01 सत्र का दावा मान्य नहीं है।
7.	500478	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत टेरिटोरियल आर्मी में सेवा करने का दावा किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
8.	500502	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

S NO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
21.	501121	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद—विवाद, सेमिनार इत्यादि एवं अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है। वाद—विवाद, सेमिनार इत्यादि के दावे के सापेक्ष कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अंशकालिक प्रवक्ता के दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये गये प्रमाण—पत्र दिनांक 26.04.2022 में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13.02.2021 तक कार्य किया गया है। अभ्यर्थी विज्ञापन की तिथि को उक्त पद पर कार्यरत नहीं है। तद्क्रम में अधिमानी अर्हता एवं बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
22.	501257	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत एन०सी०सी० 'बी' प्रमाण—पत्र का दावा किया गया है परन्तु उक्त दावे के सापेक्ष कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्क्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
23.	501381	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने का दावा किया गया है, जिसके लिए प्रस्तुत किए गए प्रमाण—पत्रों में 04 सत्रों का दावा किया गया है। जिसमें केवल 03 सत्र का दावा मान्य है तथा सत्र 2021–22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण 01 सत्र का दावा मान्य नहीं है।
24.	501430	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके लिए 04 सत्रों का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 28.04.2022 में दिनांक 01.11.2017 से दिनांक 31.12.2020 तक कार्य करने का उल्लेख है जिसके क्रम में अभ्यर्थी संविदा/प्रवक्ता के रूप में कार्यरत नहीं है तद्क्रम में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक दावा मान्य नहीं है।
25.	501449	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद—विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है, परन्तु उक्त के लिए कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्क्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
26.	501545	अभ्यर्थी द्वारा संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने का दावा किया गया है अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 21.09.2020 का प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 14.05.2016 तक कार्य किया है। अभ्यर्थी संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत नहीं है, तद्क्रम में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक दावा मान्य नहीं है।
27.	501546	अधिमानी अर्हता के अंतर्गत अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने का भी दावा किया गया है, जिसके लिए 07 सत्रों के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें केवल 06 सत्र का दावा मान्य है तथा सत्र 2021–22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण 01 सत्र का दावा मान्य नहीं है।
28.	501627	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद—विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्क्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
29.	501662	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने का दावा किया गया है, जिसके लिए 04 सत्रों के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें केवल 03 सत्र का दावा मान्य है तथा सत्र 2021–22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण 01 सत्र का दावा मान्य नहीं है।
30.	501696	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने का भी दावा किया गया है, जिसके लिए 05 सत्रों के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें केवल 04 सत्र का दावा मान्य है तथा सत्र 2021–22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण 01 सत्र का दावा मान्य नहीं है।
31.	501807	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद—विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्क्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने का भी दावा किया गया है, जिसके लिए 05 सत्रों के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें केवल 04 सत्र का दावा मान्य है तथा सत्र 2021–22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण 01 सत्र का दावा मान्य नहीं है।

S NO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
32.	501823	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
33.	501944	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है परन्तु प्रमाण पत्र दिनांक 13.01.2021 में अन्तिम कार्य दिवस दिनांक 27.01.2021 है। उक्त के क्रम में संविदा/प्रवक्ता के रूप में कार्यरत नहीं है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
34.	501977	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि एवं संविदा/विजिटिंग/ अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है परन्तु उक्त के सापेक्ष कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तदक्रम में अधिमानी अर्हता एवं बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
35.	502147	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु उक्त के सापेक्ष कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
36.	502164	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु उक्त के सापेक्ष कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
37.	502211	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि एवं संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है परन्तु उक्त के सापेक्ष कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता एवं बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
38.	502322	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु उक्त के सापेक्ष कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
39.	502350	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 21 जुलाई, 2023 के सांय 06:00 बजे तक (शुक्रवार) व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।